अज अदालत : सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर

जिला हनुमानगढ

जयसिंह बनाम दलीप आदि

किस्म मुकदमा : 212 आर.टी. एक्ट

प्रकरण संख्या 69 /2023

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख फर्द अहकाम की हुक्म की तामील जारी हुआ
02.05.2023	यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी की ओर से जरिये अधिवक्ता राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 212 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया । प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे । वकील प्रार्थी को इकतरफा सुना गया । पत्रावली का अवलोकन किया । प्रार्थना पत्र के संलग्न दस्तावेजों व शपथ पत्र के आधार पर प्रथम दृष्ट्या प्रकरण प्रार्थी के पक्ष मे प्रतीत होता है । अत : प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज व शपथ पत्र के आधार पर इस आशय की अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि अप्रार्थीगण, आगामी तारीख पेशी तक रोही मौजा भूकरका तहसील नोहर के खसरा न0 799/2 की 4.5530 हैक्ट भूमि की यथास्थिति बनाए रखें। उपरोक्त स्थगन मंजूरशुदा रास्ता व मंजूरशुदा खाला पर लागू नहीं होगा । वकील प्रार्थीगण रजिस्टर्ड सम्मन पेश करे । पत्रावली वास्ते तलबी अप्रार्थीगण दिनांक : 10/06/2023 को पेश हो । (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर (हनुमानगढ)	
10/6/23	.... प्रशासन गांवों के संग अभियान ... 2023 कैम्प .... [illegible] .... [illegible] .... [illegible] .... [illegible] .... [illegible] पत्रावली दिनांक [illegible] /6/23 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
13/6/2023	पत्रावली प्रार्थी द्वारा [illegible] की गई। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर (हनुमानगढ)	[illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:58:14 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner